

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2011

सं. 02/2011-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 102(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 19 के उप-नियम (1) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्वारा सा.का.नि. 474(अ), दिनांक 26 जून, 2011 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 45/2001 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै. टै.), दिनांक 26 जून, 2001 में निम्नलिखित और संशोधन करता है; नामशः :—

कथित अधिसूचना में, पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (5) में, "कुरिचू जल विद्युत परियोजना, ताला जल विद्युत परियोजना और पुनातसांगछू-I जल विद्युत परियोजना" शब्दों को "कुरिचू जल विद्युत परियोजना, ताला जल विद्युत परियोजना, पुनातसांगछू-I जल विद्युत परियोजना, पुनातसांगछू-II जल विद्युत परियोजना और मांगदेछू जल विद्युत परियोजना" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

[फा. सं. 201/08/2010-सी एक्स-6]

वी.पी. सिंह, अवर सचिव

टिप्पण : प्रधान नियमावली को अधिसूचना सं. 45/2001-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै. टै.), दिनांक 26 जून, 2001 को सा.का.नि. 474(अ), दिनांक 26 जून, 2001 के तहत प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 08/2008-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै. टै.), दिनांक 11 फरवरी, 2008 [सा. का.नि. 81(अ), दिनांक 11 फरवरी, 2008] के द्वारा संशोधन किया गया था ।